HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 196/2026

Amar Chand S/o Shri Ganesh Ram Ji,

----Plaintiff/Petitioner

Versus

Vishnu & Ors.

----Defendants/ Non-Petitioners

For Petitioner(s) : Mr. Jai Prakash Gupta, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/05/2026

याची/वादी के स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 1841/2026 पर सुना गया।

याची/वादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या–1 दिनांक 09.04.2014 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उसने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के विरूद्ध अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.09.2021 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या–1 की न्यायालय के समक्ष निरंतर अनुपस्थिति तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी साक्ष्य ना प्रस्तुत करने के कारण से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त आदेश दिनांक 28.09.2021 के विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या–1 ने आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

याची/वादी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.02.2026 को आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र में अंकित प्रत्यर्थी/परिवादी विष्णु की पत्नी के कैंसर की बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होते हुए भी और आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कोई न्यायसंगत कारण नहीं होते हुए भी आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 28.09.2021

को अपास्त कर दिया। यदि मूल प्रकरण में कार्यवाही की जाती है तो याची/वादी का यह निगरानी याचिका पेश करने का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा और पक्षकारान के मध्य अनावश्यक पेचिदगियां व वाद की बहुलता बढ़ने की संभवना उत्पन्न हो जाएगी।

अतः दीवानी वाद संख्या 11/2016 (91/2013) सीआईएस नंबर – 102/14 की कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

याची/वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किए जाने व पत्रावली का अवलोकन किए जाने के आधार पर प्रत्यर्थी की तामील तक अमरचन्द बनाम विष्णु प्रकरण संख्या 11/2016(91/2013) सीआईएस नंबर–102/14 विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या 3, ब्यावर, जिला–अजमेर की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। निगरानीकर्ता प्रत्यर्थीगण के उपस्थित आने पर पुनः स्थगन आदेश पर प्रत्यर्थीगण के उपस्थित आने पर दोनों पक्षों को सुनकर नए सिरे से आदेश प्रदान किया जावेगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि गैर–निगरानीकर्तागण को नए सिरे से नोटिस जारी किए जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Nikita/55